भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

 अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 997

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश दर का कम होना**

997. श्री किरनमय नन्दाः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश दर काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2017 के दौरान शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश हेतु आरक्षित सीटों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) और (ख): अनिवार्य एवं नि:शुल्‍क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत कमजोर वर्गों तथा वंचित समुदायों के बच्‍चों को आस-पड़ोस के निजी गैर सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में कक्षा-। अथवा उससे नीचे की कक्षाओं में, उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्‍या के कम से कम 25 प्रतिशत तक, प्रवेश का प्रावधान है।

सर्व‍ शिक्षा अभियान (एसएसए) केन्‍द्र सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है जिसके माध्‍यम से राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा को 01 अप्रैल, 2014 से संशोधित किया गया है ताकि राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रवेश के लिए खर्च की गई लागत की प्रतिपूर्ति की जा सके। प्रतिपूर्ति का आधार संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र द्वारा कक्षा I से VIII तक के लिए अधिसूचित प्रति बच्‍चा लागत मानक के अनुसार होगा।

वर्ष 2016-17 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत 10 राज्‍यों, जिन्‍होंने विधिवत पूर्ण प्रस्‍ताव भेजे थे, के 11.14 लाख बच्‍चों के लिए 49,269.88 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई। यह राशि निजी स्‍कूलों को वर्ष 2015-16 में आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिल किए गए बच्‍चों की स्‍कूल फीस पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु थी। केन्‍द्र सरकार के पास आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत यथानिहित प्रतिपूर्ति के लिए कोई प्रस्‍ताव लंबित नहीं है।

(ग): आरटीई अधिनियम की धारा के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े/कमजोर वर्गों के प्रवेश हेतु आरक्षित सीटों की संख्‍या का राज्‍य-वार ब्‍यौरा केन्‍द्रीय रूप से नहीं रखा जाता।

**\*\*\*\*\***